

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/ 2751
प्रति,

रायपुर, दिनांक 4/5/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
अटलनगर, नवा रायपुर(छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Gariyaband Division " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM The Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 19.099 ha. regarding पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/43120/2019

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद का पत्र क्रमांक/मा.चि. /भू-प्रबंध/324 दिनांक 17.03.2020 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 27.04.2020)

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के द्वारा संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर (छ0ग0) (आवेदक संस्थान) द्वारा इस वनमंडल के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत Optical fiber laying कुल रकबा 19.099 हे0 वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव (21 बिन्दुओं का) 4 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अवलोकन उपरांत 03 प्रतियों में प्रस्ताव आपकी ओर प्रथम चरण की स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित की जा रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख		
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) ने गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत 19.099 हे वन भूमि पर Optical fiber laying हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	1-1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति— प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43120/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/- जमा कर दिया गया है।	2-3
3.	वन क्षेत्र विवरण:- आवेदित रकबा 19.099 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	4-33

4.	गैर वन क्षेत्र विवरण :- प्रस्ताव में 1.101 हे० राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रहा है।	34
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर :- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	35-39
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप :- वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.ए. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	40-55
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव :- प्रपत्र-4 में परियोजना की प्रशासकिय लागत 1268.65 करोड़ है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है।	56-63
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	64-66
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र :- प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	67
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही :- इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	68
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा :- प्रपत्र-3 (प्रस्ताव पृष्ठ 78-104) पर वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन है जिसके अनुसार वनों का घनत्व 0.4 से 0.6 है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई है।	69-104
12.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र :- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है, जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	105
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।	106-109
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में :- 125186.000 हैं.। जिले की कुल वन भूमि रकबा संलग्न है।	110
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में :- 241.075 हे.	111
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में :- 3.608 हे. 02 प्रकरण।	112
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी :- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व स्थित है। अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	113
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) :- कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	114-115
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007) :- प्रस्ताव में 1.101 हे० राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	116-122

20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009) :- प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/43120/2019 एवं 24000.00 रु पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	123
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुसंशा :- आवश्यकता नहीं है।	124

संलग्न :- 1. प्रस्ताव 03 प्रतियों में (एक मूल प्रति सहित)।
 2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट आवेदित क्षेत्र (03 प्रतियों में)
 3. अपलोड फार्म-ए का पार्ट-1 एवं ॥

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4/5/2020

पृ. क्रमांक/तक.शा./विविध/ 2752

प्रतिलिपि :- 1. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
 2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)